

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना (सांचौर)

पीठासीन अधिकारी : हनुमानाराम आर.ए.एस.

मुकदमानम्बर : 09/2023

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

चुतराराम गोदपुत्र धुंकलाराम  
जाति विश्नोई निवासी परावा  
तहसील चितलवाना

राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी)  
तहसीलदार चितलवाना जिला सांचौर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट 1956

निर्णय दिनांक :- 11/01/2024

उपस्थित :

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री जय प्रकाश विश्नोई।
2. अप्रार्थी (राजपेरोकार) तहसीलदार चितलवाना।

## निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी का परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डायरी व राशन कार्ड इत्यादी पहचान पत्र मे चुतराराम पुत्र धुंकलाराम जाति विश्नोई निवासी परावा के नाम से बने हुए है। प्रार्थी के ग्राम परावा में संयुक्त खातेदारी के खेत खाता संख्या 76 के खसरा संख्या 317, 5, 716/1708, 723, 724, 804/1709, 901, 904, 993 जुमले रकबा 11.35 हैक्टर संयुक्त खातेदारी का आया हुआ है जिसमे प्रार्थी का खाता संख्या 77 के खसरा संख्या खसरा संख्या 457, 458, 459, 460 जुमले रकबा 9.02 हैक्टर संयुक्त खातेदारी का आया हुआ है। जिसमे प्रार्थी का कमशः 1/12 चतरा दतक पुत्र धुंकला, 1/12 चुतरा दतक पुत्र धुंकला व 1/2 हिस्सा चुतराराम पुत्र धुंकलाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्जसुदा आया हुआ है। इसी प्रकार ग्राम परावा के खाता संख्या 434 के खसरा संख्या 1237 रकबा 3.11 हैक्टर संयुक्त खातेदारी का आया हुआ है जिसमे प्रार्थी का नाम चुतराराम पुत्र भागचन्द दर्जसुदा आया हुआ है जो प्रार्थी के प्राकृकि पिता है। प्रार्थी को धुंकलाराम ने गोदपुत्र ले लिया, जिसका पंजियन पंजियन कार्यालय सांचौर मे किया गया है। इसी प्रकार ग्राम परावा के खेत खाता संख्या 102 के खसरा संख्या 1236, 1238, 1239 जुमले रकबा 3.92 हैक्टर का आया हुआ है जिसमे प्रार्थी का 7/24 हिस्सा आया हुआ है जिसमे प्रार्थी की खातेदारी चुतरा पुत्र धुंकलाराम के नाम से दर्ज है जो सही नाम चुतराराम गोदपुत्र धुंकलाराम करवाना चाहता है।




उपखण्ड अधिकारी  
चितलवाना



प्रार्थी के ग्राम खासरवी मे खाता संख्या 290 के खसरा संख्या 774, 933, 935, 936, 976, 979, 983, 996, 999 जुमले रकबा 13.82 हैक्टर संयुक्त खातेदारी का आया हुआ है। जिसमे प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड मे नाम चतुराराम पुत्र भागचन्द दर्ज है जो सही नहीं है। प्रार्थी का सही नाम चुतराराम गोदपुत्र धुंकलाराम है। जिसमे प्रार्थी का 1/4 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम खासरवी के खाता संख्या 247 के खसरा संख्या 768, 793, 937, 941, 948, 980, 988 व 989 जुमले रकबा 13.98 हैक्टर का आया हुआ है। जिसमे प्रार्थी की खातेदारी चुतराराम पुत्र भागचन्द के नाम से दर्ज है। जो प्रार्थी के प्राकृतिक पिता है प्रार्थी धुंकलाराम के गोदपुत्र चले जाने से प्रार्थी अपने गोद पिता के नाम की वल्दीयत दर्ज करवाना चाहता है। इसी प्रकार ग्राम रतौड़ा के खाता संख्या 298 के खसरा संख्या 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 880, 881, 882, 895, 896, 897, 898 जुमले रकबा 45.02 हैक्टर जिसमे प्रार्थी चुतराराम पुत्र धुंकलाराम का हिस्सा 2741/450200 व चतरा दतक पुत्र धुंकला हिस्सा 2741/450200 की खातेदारी दर्ज है जिसमे प्रार्थी अपना सही नाम चुतराराम गोदपुत्र धुंकलाराम दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का सही नाम चुतराराम गोदपुत्र धुंकलाराम है परन्तु प्रार्थी के उपर वर्णित खातेदारी भूमि मे अलग-अलग जमाबन्दियों मे कही पर चतराराम व कही मे चुतराराम व कुछ जमाबन्दी मे चतुराराम दर्ज है एवं कई जमाबन्दियों मे प्रार्थी के प्राकृतिक पिता का नाम दर्ज है जिससे प्रार्थी को के.सी.सी. ऋण लेने व आदान अनुदान प्राप्त करने मे व राज्य सरकार की अलग-अलग योजनाओ मे सबसिडी लेने मे समस्या आ रही है। इसलिए प्रार्थी का सही नाम चुतराराम गोदपुत्र धुंकलाराम दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी राजपेरोकार तहसीलदार चितलवाना द्वारा जवाब पेश किया। जवाब अनुसार प्रार्थी के नाम मौजा रतौड़ा में खातेदारी भूमि आयी हुई है। जिसमे प्रार्थी द्वारा दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्राईवर लाईसेन्स मे प्रार्थी का नाम चुतराराम पुत्र धुकलाराम दर्ज है जबकि संलग्न जमाबंदी ग्राम रतौड़ा खाता संख्या 297 मे चतराराम दतक पुत्र धुकला दर्ज है। प्रार्थी मूल निवासी परावा का है। इसी प्रकार ग्राम खासरवी मे खातेदारी भूमि आयी हुई है। जिसमे प्रार्थी द्वारा दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्राईवर लाईसेन्स मे प्रार्थी का नाम चुतराराम पुत्र धुकलाराम दर्ज है जबकि संलग्न जमाबंदी ग्राम खासरवी के खाता संख्या 247 मे चुतराराम पुत्र भागचन्द तथा खाता संख्या 290 मे चुतरा पुत्र भागचन्द राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। इसी




  
उपखण्ड अधिकारी  
चितलवाना

प्रकार ग्राम परावा मे खातेदारी भूमि आयी हुई है। जिसमे प्रार्थी द्वारा डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पेन कार्ड तथा जनआधार मे प्रार्थी का नाम चुतराराम पुत्र धुंकलाराम है। जबकि राजस्व रेकर्ड मे चतरा, चुतरा दर्ज हो गया है। दोनो एक ही व्यक्ति है।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन व अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थी के प्रार्थी के नाम मौजा रतौड़ा में खातेदारी भूमि आयी हुई है। जिसमे प्रार्थी द्वारा दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्राईवर लाईसेन्स मे प्रार्थी का नाम चुतराराम पुत्र धुकलाराम दर्ज है जबकि संलग्न जमाबंदी ग्राम रतौड़ा खाता संख्या 297 मे चतराराम दतक पुत्र धुकला दर्ज है। प्रार्थी मूल निवासी परावा का है। इसी प्रकार ग्राम खासरवी मे खातेदारी भूमि आयी हुई है। जिसमे प्रार्थी द्वारा दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्राईवर लाईसेन्स मे प्रार्थी का नाम चुतराराम पुत्र धुकलाराम दर्ज है जबकि संलग्न जमाबंदी ग्राम खासरवी के खाता संख्या 247 मे चुतराराम पुत्र भागचन्द तथा खाता संख्या 290 मे चुतरा पुत्र भागचन्द राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम परावा मे खातेदारी भूमि आयी हुई है। जिसमे प्रार्थी द्वारा डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पेन कार्ड तथा जनआधार मे प्रार्थी का नाम चुतराराम पुत्र धुंकलाराम है। जबकि राजस्व रेकर्ड मे चतरा, चुतरा दर्ज हो गया है। दोनो एक ही व्यक्ति है। इस प्रकार प्रार्थी के ग्राम परावा में संयुक्त खातेदारी के खेत खाता संख्या 76 के खसरा संख्या 317, 5, 716/1708, 723, 724, 804/1709, 901, 904, 993 जुमले रकबा 11.35 हैक्टर एवं खाता संख्या 77 के खसरा संख्या खसरा संख्या 457, 458, 459, 460 जुमले रकबा 9.02 हैक्टर, खाता संख्या 434 के खसरा संख्या 1237 रकबा 3.11 हैक्टर, खाता संख्या 102 के खसरा संख्या 1236, 1238, 1239 जुमले रकबा 3.92 हैक्टर तथा इसी प्रकार ग्राम खासरवी मे खाता संख्या 290 के खसरा संख्या 774, 933, 935, 936, 976, 979, 983, 996, 999 जुमले रकबा 13.82 हैक्टर, खाता संख्या 247 के खसरा संख्या 768, 793, 937, 941, 948, 980, 988 व 989 जुमले रकबा 13.98 हैक्टर एवं इसी प्रकार ग्राम रतौड़ा के खाता संख्या 298 के खसरा संख्या 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 880, 881, 882, 895, 896, 897, 898 जुमले रकबा 45.02 हैक्टर जिसमे प्रार्थी चुतराराम पुत्र धुंकलाराम का हिस्सा 2741/450200 व चतरा दतक पुत्र धुंकला हिस्सा 2741/450200 की खातेदारी दर्ज है जो गलत दर्ज होने से प्रार्थी का नाम चुतराराम गोदपुत्र धुंकलाराम

दुरुस्त किया जाना न्यायासंगत है।



  
उपखण्ड अधिकारी  
विनलवाना

## आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि मौजा परावा में संयुक्त खातेदारी के खेत खाता संख्या 76 के खसरा संख्या 317, 5, 716/1708, 723, 724, 804/1709, 901, 904, 993 जुमले रकबा 11.35 हैक्टर एवं खाता संख्या 77 के खसरा संख्या खसरा संख्या 457, 458, 459, 460 जुमले रकबा 9.02 हैक्टर, खाता संख्या 434 के खसरा संख्या 1237 रकबा 3.11 हैक्टर, खाता संख्या 102 के खसरा संख्या 1236, 1238, 1239 जुमले रकबा 3.92 हैक्टर तथा इसी प्रकार ग्राम खासरवी में खाता संख्या 290 के खसरा संख्या 774, 933, 935, 936, 976, 979, 983, 996, 999 जुमले रकबा 13.82 हैक्टर, खाता संख्या 247 के खसरा संख्या 768, 793, 937, 941, 948, 980, 988 व 989 जुमले रकबा 13.98 हैक्टर एवं इसी प्रकार ग्राम रतौड़ा के खाता संख्या 298 के खसरा संख्या 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 880, 881, 882, 895, 896, 897, 898 जुमले रकबा 45.02 हैक्टर जिसमें प्रार्थी चुतराराम पुत्र धुंकलाराम का हिस्सा 2741/450200 व चतरा दतक पुत्र धुंकला हिस्सा 2741/450200 की खातेदारी में प्रार्थी का नाम चुतराराम गोदपुत्र धुंकलाराम दुरुस्त करने के तहसीलदार चितलवाना को आदेश दिया जाता है। उक्त निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार चितलवाना को तहरीर जारी हो। पक्षकार खर्चा अपना-अपना वहन करे। पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हनुमानगढ़ अधीक्षक)

चितलवाना  
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना

निर्णय आज दिनांक 11/01/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना  
उपखण्ड अधिकारी  
चितलवाना

